

संख्यांक 1
मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास - महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)



प्रकरण संख्या : 73/2023
तारीख दायर : 06.06.2023

अनवान

1. भवरोह सर्फ भगवतसिंह पिता तेजसिंह राजपुत निवासी नाहरगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
वादी.

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।
प्रतिवादी.

उपस्थित :-

1. श्री देवेन्द्र कुमार पोरवाल (अधिवक्ता वादी)।
2. परोकार सरकार।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:- निर्णय :-

दिनांक 01.08.2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 डिक्री किया जाता है कि ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डलगढ़ की बिलानाम काबिल काश्त आराजी नम्बर 919/918 रकबा 0.3512 हेक्टर का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि वादी के खातेदारी हक से दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। हर्जा खर्चा मुकद्मात फरिक्तेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज 01.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया।

Mahesh
महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रूपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			2. अर्जी के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस		
4.			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
प्लीडर की फीस					
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय					
6. कमिश्नर की फीस			5. आदेशिका को तामील		
7. आदेशिका की तामील			6. कमिश्नर की फीस		



Mahesh
महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़